न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1575

1. पूरणमल पुत्र स्व0 श्री लिछमण, जाति गुर्जर,
2. सुगनाराम पुत्र स्व0 श्री लिछमण, जाति गुर्जर,
3. बहादुर पुत्र स्व0 श्री बंशीराम जाट,
4. सुनील पुत्र स्व0 श्री बंशीराम जाट,
5. सुरेश पुत्र स्व0 श्री बंशीराम जाट,
6. रिछपाल पुत्र स्व0 श्री मूलाराम, जाति जाट,
7. रोहिताश पुत्र स्व0 श्री मूलाराम, जाति जाट,
8. बीरबल पुत्र स्व0 श्री सूण्डाराम, जाति जाट,
9. श्रवणी पत्नी स्व0 श्री सूण्डाराम, जाति जाट,
10. गीमादेवी पत्नी स्व0 श्री अमीचन्द, जाति जाट,

समस्त निवासी ग्राम/कस्बा नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, उपखण्ड कार्यालय नीमकाथाना, जिला सीकर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
3. महेन्द्र कुमार बिजाणियां पुत्र मुक्तीलाल बिजाणियां जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 12 ढाणी किशोरदास वाली नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर। **(आदेश दिनांक 24.02.2026 द्वारा)**

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर निर्णय दिनांक 14.05.2025 जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 400/2024 स्वीकार कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के तहत अवैध रूप से अपीलार्थीगण की भूमियों में गैरमुमकिन रास्ता अंकित कर दिया गया।

उपस्थित :–

1. श्री संजय शर्मा, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।
3. श्री मदन लाल कुडी, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 09.03.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 14.05.2025 के खिलाफ प्रार्थना दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 01.08.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में दिनांक 08.07.2024 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानों के अनुसार आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने बाबत् राजस्व ग्राम कस्बा नीमकाथाना, पटवार मण्डल नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 2360 रकबा 0.43 हैक्टर, किस्म चाही–2 मे से 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2359 रकबा 0.87 हैक्टर, किस्म चाही–2 मे से 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2939/2373 रकबा 0.14 हैक्टर, किस्म चाही–1 मे से 0.03

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैक्टर, खसरा नम्बर 2937/2372 रकबा 0.35 हैक्टर, किस्म चाही–1 मे से 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2369 रकबा 0.43 हैक्टर, किस्म चाही–1 मे से 0.0450 हैक्टर, खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.62 हैक्टर, किस्म चाही–1 में से 0.0350 हैक्टर, खसरा नम्बर 2467 रकबा 0.22 हैक्टर, किस्म चाही–1 मे से 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2468 रकबा 0.63 हैक्टर, किस्म बारानी–1 मे से 0.0350 हैक्टर, खसरा नम्बर 2463 रकबा 0.39 हैक्टर, किस्म बारानी–1 मे से 0.0250 हैक्टर, खसरा नम्बर 2459 रकबा 0.24 हैक्टर, किस्म बारानी–1 मे से 0.0250 हैक्टर, खसरा नम्बर 2457 रकबा 0.58 हैक्टर, किस्म बारानी–1 में से 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 2456 रकबा 0.53 हैक्टर, किस्म बारानी–3 में से 0.02 हैक्टर, में रास्ता कुल 08 मीटर चौड़ा व 540 मीटर लम्बाई कुल 4320 वर्ग मीटर का गै.मु. रास्ता हीरानगर मुख्य सड़क से ढाणी किशोरदास वाली तक जाने वाला प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। इस प्रचलित रास्ते को तैयार प्रस्ताव मय नगरपालिका, नीमकाथाना के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में गै०मु० रास्ता के रूप में स्थाई अंकन किये जाने की अभिशंषा मय प्रस्ताव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 08.07.2024 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तरकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने व नक्शें में तरमीम किये जाने एवं उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी भूमि में ही रखने तथा तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रखे जाने एवं तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 14.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट पूरणमल पुत्र स्व0 श्री लिछमण द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 14.05.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त वास्तविक तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश न्याय प्रशासन एवं न्यायिक सिद्धांतों के सर्वमान्य तथा बाध्यकारी प्रावधानों तथा प्राकृतिक न्याय एवं सुनवाई के सिद्धांतों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रसारित राज्यादेश दिनांक 10.08.2016 में प्रदान किए गए किसी भी दिशा–निर्देश अथवा प्रावधान की कोई पालना नहीं की और अपने निहित क्षेत्राधिकार का गंभीर दुरुपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 2467 एवं 2468 से होकर कोई रास्ता मौके पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपलब्ध नहीं है ना ही सीमाजोड़ खसरा नम्बर 2463, 2459, 2456, 2457 में से होकर ही कोई आम रास्ता गुजर रहा है, किंतु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वर्ष 2016 के राज्यादेश जो कि अब सारहीन हो चुके हैं को आधार बनाकर उक्त राज्यादेश की मूल भावना एवं उद्देश्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 प्रसारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को तथा उपरोक्त वर्णित भूमियों के खातेदारों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने का आदेश अवश्य दिया, किंतु अपने ही आदेश की पालना में कोई कार्यवाही स्वयं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अथवा तथाकथित रास्ते का लाभ उठाने वाले पड़ोसी खातेदार आदि से ही कोई पालना करवायी तथा अपीलार्थी एवं अन्य खातेदारों की अनुपस्थिति दर्ज कर अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। खसरा नम्बर 2457 एवं 2456 के पश्चात सीमाजोड़ खसरा नम्बर 2425 से 2441 तक की संपूर्ण भूमि कस्बा निवाई की आबादी भूमियाँ है जिनमें सघन आबादी बसी हुई है तथा उनमें आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2430, 2431, 2434, 2435, 2446, 2448 एवं 2449 से 80 फुट चौड़े रास्ते से लगते हुए खसरा नम्बर है, किंतु फिर भी आने जाने हेतु शार्टकट रास्ता कायम करवाने के कुत्सित उद्देश्य से समस्त कार्यवाही की गई है जो विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने की वजह से निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण तथा अन्य खातेदारों की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि जिनका विस्तृत विवरण अपील के पैरा संख्या 1 में किया गया है, से होकर कोई आम रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी संख्या 5 व 6 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 2468 के चारों ओर पुख्ता बाउन्ड्रीवाल है तथा नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाए गए तथा अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध उक्त रास्ते का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं है तथा अपीलार्थीगण के लिए उक्त रास्ते की कोई उपयोगिता एवं उपादेयता नहीं है, किंतु फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का गंभीर दुरुपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पारित अवैध आदेश दिनांक 14.05.2025 एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा उक्त अवैध आदेश की पालना में राजस्व नक्शे में अवैध रूप से कायम किए गए रास्ते को देखने मात्र से ही यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलार्थी सहित समस्त सद्भाविक कृषकों की भूमि की उपादेयता को विखंडित कर दिया गया है। संलग्न नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 2361 एवं 2360 के मध्य से होकर खसरा नम्बर 2159 की भूमि के दो टुकड़े करते हुए खसरा नम्बर 2372, 2369, 2370, 2468, 2463, 2459 एवं 2457 को भी दो टुकड़ो में विभाजित करते हुए कायम किए गए उक्त रास्ते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में एक अभिलिखित सद्भाविक खातेदार काश्तकार को प्रदत्त किए गए संरक्षण की सरासर अवहेलना करते हुए पारित किया गया आदेश एवं कायम किया गया रास्ता होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। पटवारी हल्का नीमकाथाना द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ षड्यंत्रपूर्वक मिलकर नवीन रास्ता कायम करवाने की कार्यवाही को तहसीलदार नीमकाथाना तथा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने या तो उक्त षड्यंत्र में शामिल होकर अथवा अपने न्यायिक विवेक एवं प्रशासनिक अनुभव का संज्ञान लिए बिना ही पटवारी हल्का द्वारा की गई अवैध कार्यवाही को वैधानिक रूप प्रदान किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नोटिस दिया जाना नितांत आवश्यक था, किंतु अपने पदाभिभूत शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए एकपक्षीय एवं अवैध निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि दिनांक 21.03.2024 को पटवारी हल्का ने बिना किसी आदेश अथवा निर्देश के फर्द मौका तैयार की जिस पर

महेन्द्र कुमार, अमीचंद, राजेन्द्र, ताराचंद्र, सुनील के हस्ताक्षर है। उल्लेखनीय है कि अमीचंद दिल्ली पुलिस में सिपाही है तथा दिनांक 21.03.2024 अथवा 18.06.2024 को ग्राम में नहीं था। सुनील नामक कोई व्यक्ति अपीलार्थी संख्या 2 के अलावा ग्राम में नहीं है और अपीलार्थी संख्या 2 के उक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं हैं इसी प्रकार महेन्द्र कुमार, अमीचंद, राजेन्द्र व ताराचंद चचेरे भाई हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा खसरा नम्बर 2425 के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं जिन्होंने अपने निहित सुविधा की पूर्ति हेतु उक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे पटवारी हल्का ने अवैध रूप से ग्रामवासियों की उपस्थिति का अभिकथन अंकित करते हुए रिपोर्ट तैयार की और उक्त रिपोर्ट के तैयार होने के तीन माह पश्चात दिनांक 18.06.2024 को तहसीलदार नीमकाथाना ने तथाकथित रूप से मौका देखने का तथ्य अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर किये है। उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट को ही अंतिम सत्य मानते हुए पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग केवलमात्र संबंधित पक्षकारों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत तथा वास्तविकता के आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों में अंकन किए जाने हेतु अधिकृत करता है ना ही नवीन रास्ता कायम करने की कोई शक्ति अथवा अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 1 को देता है किंतु फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विधि के सुस्थापित व्यवस्था एवं बाध्यकारी प्रावधान के विपरीत यह सरासर अवैध आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हाल ही में बाजरे की बुवाई करते समय पटवारी हल्का द्वारा एक नक्शा दिखाते हुए अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 5 को पाबंद किया कि अब इन खसरा नम्बरों के खेतों की बुवाई 30 फुट चौड़ा रास्ता की जमीन छोडकर ही करना नहीं तो तुम्हे खड़ी फसल, बुवाई, जुताई एवं बीज–पानी आदि का नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि जल्दी ही इस नक्शेनुसार मौका पर रास्ता कायम किया जाएगा।

पटवारी हल्का द्वारा इस प्रकार धमकाए जाने पर अपीलार्थीगण को फ्रिक हुई और उन्होंने संबंधित नक्शे तथा जमाबंदियों की नकल प्राप्त की तथा दिनांक 14.07.2025 को ही उपखण्ड अधिकारी जी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर दिनांक 17.07.2025 को उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में पुनः उपस्थित होकर उपरोक्त वर्णित संपूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 18.07.2025 को नकल प्राप्त होने पर सभी खातेदारों से आपस में बात कर एक राय कायम कर जयपुर आकर अधिवक्ता महोदय से मिले और नियमानुसार जानकारी के दिन से अंदर मयाद यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। यद्यपि एक पक्षीय एवं अवैध आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई समयावधि निहित नही है, किंतु फिर भी विधिक प्रावधानों के अनुसरण में पृथक से आवेदन अंतर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलाधीन एक पक्षीय एवं अवैध आदेश से अपीलार्थीगण के साम्पत्तिक एवं सवैधानिक अधिकार गम्भीर रूप से विपरीत प्रभावित हो रहे हैं इसलिये अपीलान्टस माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी की भूमि को विखण्डित होने से रोकने तथा अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन एक पक्षीय एवं अवैध आदेश दिनांक 14.05.2025 उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना निरस्त फरमाया जाकर राजस्व भू–अभिलेखों में की गई तरमीम को निरस्त कर समस्त भू–अभिलेखों में पूर्वस्थिति बहाल किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन को दर्ज

रजिस्टर कर दिनांक 25.07.2024 को सर्वप्रथम अप्रार्थीगण/अपीलान्टस/खातेदारों को नोटिस जारी करने का आदेश किया, किंतु दिनांक 14.05.2025 से पूर्व न तो कोई नोटिस किसी भी खातेदार को प्रसारित किये गये और ना ही अपीलार्थीगण को कभी कोई नोटिस प्राप्त ही हुआ। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि के सुस्थापित सिद्धांतों एवं बाध्यकारी प्रावधानों की गंभीर अवहेलना करते हुए एकपक्षीय एवं अवैध निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्ध जानकारी के दिन से समयावधि में प्रस्तुत की गयी कानूनन अन्दर मयाद होती है। प्रार्थी/अपीलार्थी संख्या 5 को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.07.2025 को अपने खेत खसरा नम्बर 2468 में बाजरे की बुवाई करते समय पटवारी हल्का द्वारा एक नक्शा दिखाते हुए अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 5 को मौके पर बुला कर पाबंद किया कि अब इन खसरा नम्बरों के खेतों की बुवाई 30 फुट चौड़ा रास्ता इस नक्शे के अनुसार जमीन छोडकर ही करना नहीं तो तुम्हे खड़ी फसल, बुवाई, जुताई एवं बीज–पानी आदि का नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि जल्दी ही इस नक्शेनुसार मौका पर रास्ता कायम किया जाएगा। पटवारी हल्का द्वारा धमकाए एवं समझाये जाने पर अपीलार्थीगण को फ्रिक हुई और उन्होंने संबंधित नक्शे तथा जमाबंदियों की नकल प्राप्त की तथा दिनांक 14.07.2025 को ही उपखण्ड अधिकारी जी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर दिनांक 17.07.2025 को उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में पुनः उपस्थित होकर उपरोक्त वर्णित संपूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 18.07.2025 को नकल प्राप्त होने पर सभी खातेदारों से आपस में बात कर एक राय कायम कर जयपुर आकर अधिवक्ता महोदय से मिलकर प्राप्त कानूनी परामर्श के आधार पर अविलम्बार जानकारी के दिन से अंदर मयाद अपील प्रस्तुत की जा रही है।

यद्यपि एक पक्षीय एवं अवैध आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, किंतु फिर भी न्यायिक आवश्यकता के मद्देनजर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए 17 दिन के विलम्ब को क्षमा किए जाने हेतु यह आवेदन नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य एवं दायित्व था कि वे तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत आवेदन को विधि के समस्त सुस्थापित सिद्धांतों तथा न्यायिक प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व प्रार्थीगण को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते किंतु विचारण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार तथा वैधानिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हुए सरासर अवैध एंव एक पक्षीय आदेश पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायहित में भी अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को उपरोक्त वर्णित आधारों के तहत क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने की आज्ञा प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए उपरोक्त वर्णित विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु अंदर मयाद शुमार किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपील में अंकित भूमि खसरा नम्बरान में रास्ता प्रचलित होने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत कटानी योग्य पाए जाने पर प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रेषित किए गए थे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 14.05.2025 की अनुपालना में एवं उनके पत्रांक राजस्व/2025/394 दिनांक 19.04.2025 की अनुपालना में राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गै०मु०रास्ता दर्ज किया गया था। उक्त प्रश्नगत रास्ता तत्तसमय प्रचलित था वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार भी मौके पर रास्ता पूर्णतया चालू है तथा पूरी तरह आवागमन है एवं मौके पर रास्ते में ग्रेवल

डाली हुई है। प्रार्थीगणों द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है, रास्ता नियमानुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट नं. 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 13.07.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में दिनांक 08.07.2024 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानों के अनुसार आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने बाबत् राजस्व ग्राम कस्बा नीमकाथाना, पटवार मण्डल नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 2360 रकबा 0.43 हैक्टर, किस्म चाही–2 मे से 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2359 रकबा 0.87 हैक्टर, किस्म चाही–2 मे से 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2939/2373 रकबा 0.14 हैक्टर, किस्म चाही–1 मे से 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2937/2372 रकबा 0.35 हैक्टर, किस्म चाही–1 मे से 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2369 रकबा 0.43 हैक्टर, किस्म चाही–1 मे से 0.0450 हैक्टर, खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.62 हैक्टर, किस्म चाही–1 में से 0.0350 हैक्टर, खसरा नम्बर 2467 रकबा 0.22 हैक्टर, किस्म चाही–1 मे से 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2468 रकबा 0.63 हैक्टर, किस्म बारानी–1 मे से 0.0350 हैक्टर, खसरा नम्बर 2463 रकबा 0.39 हैक्टर, किस्म बारानी–1 मे से 0.0250 हैक्टर, खसरा नम्बर 2459 रकबा 0.24 हैक्टर, किस्म बारानी–1 मे से 0.0250 हैक्टर, खसरा नम्बर 2457 रकबा 0.58 हैक्टर, किस्म बारानी–1 में से 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 2456 रकबा 0.53 हैक्टर, किस्म बारानी–3 में से 0.02 हैक्टर, में रास्ता कुल 08 मीटर चौड़ा व 540 मीटर लम्बाई कुल 4320 वर्ग मीटर का गै.मु. रास्ता हीरानगर मुख्य सड़क से ढाणी किशोरदास वाली तक जाने वाला प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। इस प्रचलित रास्ते को तैयार प्रस्ताव मय नगरपालिका, नीमकाथाना के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में गै०मु० रास्ता के रूप में स्थाई अंकन किये जाने की अभिशंषा मय प्रस्ताव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 08.07.2024 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तरकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने व नक्शें में तरमीम किये जाने एवं उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी भूमि में ही रखने तथा तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रखे जाने एवं तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 पारित किये गये है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित खसरों के खातेदार एवं सहखातेदारों को नोटिस दिये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं प्रभावित खातेदारों की सहमति प्राप्त किये बिना तथा अपीलार्थीगण को साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स को भी सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार नीमकाथाना से फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे कि डोटेड रास्ता किन–किन खसरों से होकर जाता है एवं मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार नीमकाथाना से फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे कि डोटेड रास्ता किन–किन खसरों से होकर जाता है एवं मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति० संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर